संख्या- 25/2025/1401/58-2025-1906870

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में सामान्य कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन केन्द्रांश रू0-33,46,02,500/- में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-22,30,68,333/- को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-55,76,71,833/- अर्थात् रू0-5576.71 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20/बजट/2025-26, दिनांक 05.06.2025 एवं पत्र संख्या-रा0औ0मि0-286/बजट/2025-26, दिनांक 17.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.) की योजना में सामान्य कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन केन्द्रांश रू0-33,46,02,500/- में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-22,30,68,333/- को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-55,76,71,833/- अर्थात् रू0-5576.71 लाख (पचपन करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

4. प्रशासकीय विभाग द्वारा योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रश्नगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाय।
12. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।
13. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
14. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
15. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	02 मजदूरी	21,08,000 (रुपये इक्कीस लाख आठ हजार मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	18 प्रकाशन	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	53,60,30,000 (रुपये तिरेपन करोड़ साठ लाख तीस हजार मात्र)
6	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	39,02,000 (रुपये उनतालीस लाख दो हजार मात्र)
7	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	6,70,000 (रुपये छह लाख सत्तर हजार मात्र)

		के.+ रा.)		
8	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	77,05,000 (रुपये सतहत्तर लाख पाँच हजार मात्र)
9	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,56,000 (रुपये दो लाख छप्पन हजार मात्र)
10	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**55,76,71,000 (रुपये पचपन करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	55,76,71,000 (रुपये पचपन करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-1-82-X-2025-26- दिनांक:20-6-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 25/2025/1401(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://sansanat